निगरानी 854-I-15

# न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2015

श्री विनोद भार्गव एड. द्वारा आज दि. 23-4-15 को प्रस्तुत
23-4-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रामस्वरूप यादव पुत्र श्री कूरे यादव, निवासी–बिहारीपुरा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) ———आवेदक

बनाम

1 सट्‌ठुआ पुत्र जानकी अहिरवार, निवासी–डुमरऊमोटा, तहसील जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

2 हन्नूलाल अहिरवार पुत्र स्व. कन्हैयालाल अहिरवार,

3 हरिशचन्द्र अहिरवार पुत्र स्व. कन्हैयालाल, निवासीगण–डुमरऊमोटा, तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

4 म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर, टीकमगढ़ (म.प्र.)

———अनावेदकगण

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 23-4-2015

**न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22/12/2014 एवं कार्यवाहियों के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

1. यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अनावेदक क्रमांक–1 से 3 द्वारा आवेदक के पक्ष में आबंटित भूमि के विरूद्ध कलेक्टर महोदय के समक्ष शिकायत की गई कि विवादित भूमि खसरा क्रमांक 226/3 रकवा 4.5 एकड़/1.833 हेक्टर पर उनका कब्जा है और यह भूमि आवेदक को गलत रूप से आबंटित की गई है।

Hament(Rd-=1)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-854-तीन/2015 जिला टीकमगढ़ रामस्वरूप विरूद्ध सटुआ

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 25-02-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 35/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 22-12-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।<br>2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।<br>(आर.के. जैन) 25/2/2019<br>सदस्य<br>(3) | |